

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

21

तारीख दायरा

16.08.2022

तारीख फैसला

25.7.22

10
15/22

तीजारीन अधिकारी - हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.एस.)

जेतुन बाई पुत्री अब्दुल गफ्फार पति अब्दुल मजिद जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :- श्री आबिद खान एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

:- निर्णय :-

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम धनवा पटवार क्षेत्र बनेठिया तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते की संख्या नया 6 पुराना संख्या 4 पर ख0न0 462 रकवा 0.9800 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि में वादनी का नाम तेजूबाई दर्ज किया हुआ है। यह कि वादनी का नाम दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम तेजूबाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का वास्तविक नाम जेतुन बाई है। तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम जेतु बाई है जिससे वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, श्रम कार्ड व बैंक डायरी आदि में जेतुन बाई अंकित है। वादनी का नाम ग्राम धनवा की जमाबंदी में तेजूबाई होने से सरकार योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान क्रेडिट कार्य लेने से वंचित हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरुस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इसलिए वादनी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारीयों द्वारा ग्राम धनवा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम जेतुन बाई के स्थान पर तेजू बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम तेजूबाई के स्थान पर जेतुन बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 25.07.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान न दिया और मना कर दिया। जिस कारण वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

जहाँ वादनी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम धनवा पटवार क्षेत्र बनेठिया तहसील दीगोद में (23)
वादनी के शामिल की खाने की संख्या नया 6 पुराना संख्या 4 पर ख0न0 462 रकबा 0.9800 है0 भूमि के
राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम तेजू बाई के स्थान पर जेतुन बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में
दुरुस्ती किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी
तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।
तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का तेजूबाई के स्थान पर जेतुन बाई दर्ज किये जाने की
अनुशंसा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का
अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धनवा पटवार क्षेत्र बनेठिया तहसील दीगोद में
वादनी के शामिल की खाने की संख्या नया 6 पुराना संख्या 4 पर ख0न0 462 रकबा 0.9800 है0 भूमि में
वादनी का नाम तेजू बाई के स्थान पर तेजू बाई उर्फ जेतुन बाई किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं
रहने पर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

6/2/23
(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलेक्टर
दीगोद, दीगोद (राज.)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

पोलीसीन अधिकारी - हरबिन्दर डी० सिंह (आर.ए.एस.)

जेतुन बाई पुत्री अब्दुल गफ्फार पति अब्दुल मजिद जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :- श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से :-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादनी स्वीकार किया जाकर ग्राम धनवा पटवार क्षेत्र बनेठिया तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते की संख्या नया 6 पुराना संख्या 4 पर ख०न० 462 रकबा 0.9800 है० भूमि में वादनी का नाम तेजू बाई के स्थान पर तेजू बाई उर्फ जैतुनबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत्त०	0	0	मुत्त०	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद, दीगोद जिला (राज.)